



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 05-07-2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा शहर क्षेत्र का किया गया भ्रमण, यातायात व्यवस्था हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

- पुलिस आयुक्त द्वारा शहर क्षेत्र का भ्रमण कर यातायात संचालन का किया गया निरीक्षण
- पुलिस आयुक्त द्वारा गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक की गयी पैदल गश्त।
- यातायात व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत चलाये गये अतिक्रमण अभियान का किया गया स्थलीय निरीक्षण।
- थाना प्रभारीगण यातायात व्यवस्था व अतिक्रमण के विरुद्ध निभायें प्रभावी सहभागिता
- अतिक्रमण करने वालो के सामान को जब्त कर होगा अभियोग पंजीकृत।
- अभियान के तहत प्रत्येक दिवस एक प्रमुख मार्ग पर अतिक्रमण के विरुद्ध होगी कार्यवाही।

आज दिनांक 05-07-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा शहर क्षेत्र में भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा आगामी दिनों में पड़ने वाले त्यौहारों के दृष्टिगत बाजार, मंदिर व घाटों पर होने वाली भीड़ के सुगम आवागमन के दृष्टिगत गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक पैदल गश्त कर अतिक्रमण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान का निरीक्षण किया गया। पैदल गश्त के दौरान स्थानीय व्यापारियों से उनके प्रतिष्ठान का सामान दुकान की परिधि में रखने व वाहनो को सड़क पर न पार्क करने की अपील की गयी। भ्रमण के दौरान यातायात संचालन व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को सुधार हेतु निर्देश दिये गये। इस दौरान अपर पुलिस उपायुक्त काशी सुश्री नीतू, सहायक पुलिस आयुक्त व संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे।

अन्य निर्देश-

1. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य मार्गों पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग न होने दिया जाये जिससे कि अनावश्यक रूप से यातायात बाधित हो ।
2. सुगम यातायात के दृष्टिगत पार्किंग स्थल का निर्धारण एवं अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही की जाये ।
3. बेहतर यातायात प्रबन्धन के साथ-साथ लोग यातायात के नियमों का पालन करें यह सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
4. यातायात डायवर्जन का कड़ाई से पालन कराया जाये जिससे कि किसी एक स्थान पर ज्यादा ट्रैफिक न हो ।
5. पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त द्वारा भ्रमण कर पूर्व में यातायात हेतु बनायी गयी कार्ययोजना का अनुपालन सुनिश्चित करायें ।
6. जाम लगने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी अपने थाने के पुलिस बल के साथ यातायात कर्मियों का सहयोग करते हुए जाम का निराकरण करायें ।
7. यातायात के नियमों का उल्लंघन कर यातायात बाधित करने वालों के विरुद्ध प्रभावी/सख्त कार्यवाही की जाये ।
8. ड्यूटी के दौरान जनता से दुर्व्यवहार न किया जाये एवं अपने कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक निर्वहन किया जाये ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।